रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-04082025-265112
CG-UP-E-04082025-265112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3435] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
No. 3435] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गतिशक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3518(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के तहसील एत्मादपुर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात "फफूंद स्टेशन पर गुड्स शेड की सुविधा का प्रावधान, औरैया , उत्तर प्रदेश।" करने हेतु भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी(भू०अ०), औरैया , उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और

जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना "फफूंद स्टेशन पर गुड्स शेड की सुविधा का प्रावधान, औरैया , उत्तर प्रदेश।" करने के लिए औरैया जिले के औरैया तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र0सं0	तहसील	मौजा	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा वर्ग मीटर में	अर्जन हेतु रकबा हे0 में
1	औरैया	लखनापुर	573	862	750	0.0750
2			557	861	54	0.0054
3			558	860(क)	90	0.0090
			294	860(ख)		
4			557	859	128	0.0128
5			439	858	132	0.0132
			17	858(ख)		
6			557	854 मि.	688	0.0688
7	औरैया	केन्जरी	550	701मि.	3280	0.3280
8			565	729	760	0.0760
9			124	724 मि.	1870	0.1870
				724 मि.		
10			124	725	810	0.0810
11			286	716	4860	0.4860
12			364	727	6270	0.6270
13			574	715मि.	80	0.0080
14			442	715मि.	328	0.0328
15			47	723	1685	0.1685
16			81	722	3740	0.3740
17			81	717	2010	0.2010
18			202	718	110	0.0110
19			109	728	308	0.0308
20			96	720	690	0.0690

21			179	683	200	0.0200
22			231	684	1395	0.1395
23			90	685	1280	0.1280
			103	685		
24			171	713मि.	1287	0.1287
			185	715मि.		
25			122	714	550	0.0550
			कुल योग		**33355**	**3.3355**

[फा. सं. NCR.-PRYJOENGG (Land)/9/2023dated 05.06.2025]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Gati Shakti Unit)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 25th July, 2025

S.O. 3518(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, **"Phaphund-PHD-Provision of goods shed at Phaphund station over PRYJ division ,Auraiya, Uttar Pradesh."** in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Add. District Magistrate/L.A., Auraiya, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely **"Phaphund-PHD-Provision of goods shed at Phaphund station over PRYJ division, Auraiya, Uttar Pradesh."** under Auraiya Tehsil of Auraiya District in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Village name	Khata no.	Plot no.	Acquisition Area (in Sqm.)	Acquisition Area (in Hect.)
1			573	862	750	0.0750

2	Auraiya	Lakhnapur	557	861	54	0.0054
3			558	860(क)	90	0.0090
			294	860(ख)		
4			557	859	128	0.0128
5			439	858	132	0.0132
			17	858(ख)		
6			557	854 मि.	688	0.0688
7	Auraiya	Kenjari	550	701मि.	3280	0.3280
8			565	729	760	0.0760
9			124	724 मि.	1870	0.1870
				724 मि.		
10			124	725	810	0.0810
11			286	716	4860	0.4860
12			364	727	6270	0.6270
13			574	715मि.	80	0.0080
14			442	715मि.	328	0.0328
15			47	723	1685	0.1685
16			81	722	3740	0.3740
17			81	717	2010	0.2010
18			202	718	110	0.0110
19			109	728	308	0.0308
20			96	720	690	0.0690
21			179	683	200	0.0200
22			231	684	1395	0.1395
23			90	685	1280	0.1280
			103	685		
24			171	713मि.	1287	0.1287
			185	715मि.		
25			122	714	550	0.0550
			Total		**33355**	**3.3355**

[F. No. NCR.-PRYJOENGG (Land)/9/2023dated 05.06.2025]

ANMUL HAQUE, Chief Administrative Officer/C/RSP

aded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA